भ्रमण आख्या जनपद–चित्रकूट

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के पत्र संख्या–SPMU/NHM/M&E/2020-21/18/6826 दिनांक 02.02.2021 के क्रम में पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुपालनार्थ दिनांक 15–17 मार्च, 2021 को भ्रमण दल द्वारा जनपद चित्रकूट का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। भ्रमण दल के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. डा0 राज किशोर त्रिपाठी, प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2. श्री संतोष कुमार भारती, प्रोग्राम कोआर्डिनेटर, आर0आई0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की गयी इकाईयॉ :–

1. संयुक्त जिला चिकित्साल, चित्रकूट।
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिवरामपुर।
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (एफ.आर.यू.), मानिकपुर।
4. उपकेन्द्र, खुटहा (एच.डब्ल्यू.सी.) (विकास खण्ड शिवरामपुर)।
5. उपकेन्द्र, लोहदा, सत्र स्थल ग्राम–औदहा, विकास खण्ड–पहाड़ी (वी.एच.एन.डी. सत्र)।

जनपद की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की विस्तृत आख्या निम्नवत् है :–

क्र. स.	चिकित्सा इकाई	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	संयुक्त जिला चिकित्साल, जनपद–चित्रकूट	• मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि चिकित्सा इकाई के द्वार के सामने नाली ओवरफ्लो हो रही है। इसे सही कराये जाने हेतु सम्बन्धित अवर अभियन्ता को छः बार पत्र लिखा जा चुका है किन्तु अवर अभियन्ता के स्तर से कार्यवाही लम्बित है।	• जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से समस्या का समाधान कराये जाने का सुझाव प्रदान किया गया।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी / जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई / राज्य स्तर
		• चिकित्सालय के द्वार पर स्ट्रेचर व व्हील चेयर समुचित रूप से नहीं रखे गये थे।	• स्ट्रेचर व व्हील चेयर को समुचित स्थल पर रखे जाने का सुझाव दिया गया।	
		• चिकित्सालय में औसतन 15 प्रसव प्रतिदिन कराये जा रहें हैं। जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है तथा भुगतान हेतु शेष लाभार्थियों की सूची सम्बन्धित विकास खण्ड को साझा की जा रही है।	• जननी सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक अभिलेखों का दीवार लेखन चिकित्सालय में यथा आवस्यक स्थलों पर कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
		• जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को भोजन मीरा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है।	• भोजन व्यवस्था में साफ–सफाई बनाये रखने का सुझाव दिया गया।	
		• मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि बायो–मेडिकल–वेस्ट के निस्तारण हेतु संगम मेडिसर्स प्रा0 लि0 हण्डिया प्रयागराज का टेण्डर वर्ष 2016 से क्रियाशील है। किन्तु संस्था द्वारा अपनी सेवायें माह में केवल एक बार ही प्रदान की जाती हैं। यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में संस्था को कोई भी भुगतान नहीं किया गया है।	• मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय को सुझाव दिया गया कि राज्य स्तर पर सम्बन्धित अनुभाग से समन्वय स्थापित कर जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से निर्णय कराकर समस्या का समाधान कराने का प्रयास करें।	
		• चिकित्सालय में एसएनसीयू हेतु 12 बेड की व्यवस्था है जिसमें भ्रमण तिथि में 10 बच्चे भर्ती पाये गये। चिकित्सक द्वारा अवगत कराया गया कि 60 प्रतिशत इनबार्न तथा 40 प्रतिशत आउटबार्न बच्चे भर्ती किये जाने का औसत है।	• चिकित्सालय में एसएनसीयू हेतु 12 बेड की व्यवस्था है जिसमें भ्रमण तिथि में 10 बच्चे भर्ती पाये गये। चिकित्सक द्वारा अवगत कराया गया कि 60 प्रतिशत इनबार्न तथा 40 प्रतिशत आउटबार्न बच्चे भर्ती किये जाने का औसत है।	
		• मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि एसएनसीयू में एक बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती की गयी है। अतः इनके द्वारा 24X7 सेवायें प्रदान करने में कठिनाई हो	• मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय को सुझाव दिया गया कि चिकित्सालय के अन्य चिकित्सकों के माध्यम से 24X7	

		रही है। • मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि एसएनसीयू में तैनात कुल 08 स्टाफ नर्सों में से 04 स्टाफ नर्सों का 14 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाना शेष है। • लेबर रूम मानकानुसार सुसज्जित नहीं पाया गया। • जिला प्रशासन द्वारा एनआरसी में स्थापित कुल 10 बेडों को, जनपद के प्रत्येक ब्लॉक को 2 बेड आवंटित कर दिये गये हैं और इसी आधार पर समीक्षा भी की जाती है। • एनआरसी में संचालित किचन की सफाई व्यवस्था में कमी पायी गयी। • मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि चिकित्सालय के ब्लड बैंक में पैथालॉजिस्ट की तैनाती की गयी है। पर्याप्त मात्रा में ब्लड एकत्र किया जा चुका है। • रोगी कल्याण समिति मद में चिकित्सालय को केवल प्रथम किश्त जनपद स्तर से अवमुक्त की गयी है।	सेवायें उपलब्ध करायी जा सकती हैं। • मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय को प्रशिक्षण कराये जाने हेतु अनुरोध पत्र राज्य स्तर पर प्रेषित करने का सुझाव दिया गया। • लेबर रूम को मानकानुसार सुसज्जित कराये जाने का सुझाव दिया गया। • एनआरसी में आवश्यक स्थलों पर आईईसी कराये जाने का सुझाव दिया गया। • एनआरसी में संचालित किचन की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का सुझाव दिया गया। • भ्रमण के दौरान उपस्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि ब्लड स्टोर किये जाने हेतु कैम्प लगाये जायें। • रोगी कल्याण समिति मद की द्वितीय किश्त ससमय प्रदान किये जाने का सुझाव प्रदान किया गया।	
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिवरामपुर	• एम.सी.एच. विंग में लेबर रूम का संचालन किया जा रहा है। • मुख्य द्वार पर व प्रसव कक्ष हेतु साइनेज नहीं लगाये गये है। • प्रसव कक्ष में उलब्ध सामान्य घड़ी लगी हुयी थी जो कि बंद पायी गयी। • बच्चों के वजन हेतु डिजिटल मशीन उपलब्ध नहीं थी। • प्रसव कक्ष में एल्बो टैब नहीं लगाया गया है। • प्रसव कक्ष में दो टेबलो के बीच प्राइवेसी हेतु पर्दे नहीं लगाये गये हैं। • प्रसव कक्ष के बाहर शू रैक तथा स्लीपर उपलब्ध नहीं थे। • वेटिंग कक्ष में लगाया गया टेलीविजन अक्रियाशील था। • लो बर्थ वेट बेबी का चिन्हांकन नहीं किया जा रहा है। • केश शीट में JSY के लाभार्थियों का विवरण समुचित रूप से दर्ज नहीं किया जा रहा है। • चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर स्ट्रेचर व व्हील चेयर उपलब्ध नहीं थे। • दिनांक 13.03.2021 तक कुल 3085 प्रसव हुये हैं जिसके सापेक्ष 3024 का भुगतान किया गया है। • चिकित्सालय के वार्ड में आई.ई.सी. की कमी थी एवं पर्दा भी नहीं लगाये गये थे। • बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है।	• मुख्य द्वार पर व प्रसव कक्ष हेतु साइनेज लगाये जाने का सुझाव दिया गया। • प्रसव कक्ष को नर्स मेण्टर के सहयोग से सुसज्जित किये जाने का सुझाव दिया गया। • वेटिंग कक्ष में लगे हुये टेलीविजन को क्रियाशील किये जाने का सुझाव दिया गया। • लो बर्थ वेट बेबी का चिन्हांकन किये जाने का सुझाव दिया गया। • केश शीट में JSY के लाभार्थियों का विवरण समुचित रूप से दर्ज किये जाने का सुझाव दिया गया। • चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर स्ट्रेचर व व्हील चेयर की उपलब्धता करायी गयी। • जननी सुरक्षा योजना के लम्बित भुगतान किये जाने का सुझाव दिया गया। • चिकित्सालय में आवश्यकतानुसार आई.ई.सी. इत्यादि की उपलब्धता का सुझाव दिया गया। • बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण समुचित रूप से किये जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी / जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई / राज्य स्तर

3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानिकपुर (एफ.आर.यू.)	• प्रसव कक्ष हेतु साइनेज नहीं लगाये गये हैं। • लेबर रूम में पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं है। • लेबर रूम में एल्बो टैब नहीं लगा है। • लेबर टेबल पर कैलिशपैड नहीं पाये गये। • नवजात शिशु के वजन हेतु डिजिटल वेइंग मशीन नहीं है। • रेडियन्ट वार्मर छः माह पूर्व जनपद स्तर से भेजा गया है किन्तु इन्सटालेशन हेतु कोई व्यक्ति नहीं आया है। • प्रसव कक्ष के साथ शौचालय सम्बद्ध नहीं है। • प्रसव कक्ष में न्यू बार्न केयर कार्नर अव्यवस्थित है। • भ्रमण के समय चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर स्ट्रेचर व व्हील चेयर उपलब्ध नहीं थे। • चिकित्सा अधीक्षक द्वारा विकास खण्ड की ए.एन.एम. व आशा संगिनियों की बैठक बुलायी गयी थी जिसमें राज्य स्तरीय दल द्वारा बिन्दुवार चर्चा की गयी। प्रथम पंक्ति की कार्यकत्रियों से अपेक्षाओं पर चर्चा की गयी तथा समुदाय की प्रतिभागिता बनाये जाने हेतु सुझाव दिये गये। दल द्वारा अवगत कराया गया कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में जनपद कासगंज प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में सबसे निम्नतम स्थान पर है। • चिकित्सालय में आई.ई.सी. हेतु स्थान उपलब्ध है किन्तु आई.ई.सी. नहीं करायी गयी है।	• चिकित्सालय में आवश्यकतानुसार साइनेज लगवाने का सुझाव दिया गया। • लेबर रूम को सुदृढ़ किये जाने का सुझाव दिया गया। • नवजात शिशु का वजन किये जाने हेतु डिजिटल वेइंग मशीन की उपलब्धता का सुझाव दिया गया। • रेडियन्ट वार्मर के इन्सटालेशन हेतु जनपद स्तर पर अनुरोध पत्र प्रेषित करने का सुझाव दिया गया। • न्यू बार्न केयर कार्नर को सुदृढ़ करने का सुझाव दिया गया। • चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर स्ट्रेचर व व्हील चेयर की उपलब्धता का सुझाव दिया गया। • चिकित्सालय में आई.ई.सी. कराये जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक/ जनपद स्तर
4	उपकेन्द्र, खुटहा (एच.डब्ल्यू.सी.) (विकास खण्ड शिवरामपुर)	• उपकेन्द्र पर कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर द्वारा अवगत कराया गया कि प्रतिदिन 15 से 20 ओपीडी प्रतिदिन की जा रही है। • ओपीडी की रिपोर्टिंग प्रतिदिन निर्धारित एप पर की जा रही है। • कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर द्वारा अवगत कराया गया कि ई संजीवनी के माध्यम से लाभार्थियों को सेवा प्रदान की जा रही है किन्तु पोर्टल द्वारा Re Inter, Re Login, Try again के संदेश टेबलेट पर प्रर्दशित हो रहे है। • **CBAC** का कार्य 80% पूर्ण कर लिया गया था। • CHO योगा में प्रशिक्षित नही है।	• ओपीडी की संख्या में वृद्धि किये जाने का सुझाव दिया गया। • हेल्पलाइन नम्बर/जनपद/राज्य स्तर से समन्वय कर पोर्टल की समस्या को निस्तारित करने का सुझाव दिया गया। • **CBAC** का शतप्रतिशत कार्य पूर्ण करने का सुझाव दिया गया।	सी.एच.ओ./चिकित्सा अधीक्षक/ जनपद स्तर
5	उपकेन्द्र, लोहदा, सत्र स्थल ग्राम औदहा (वी.एच.एन.डी. सत्र) (विकास खण्ड पहाड़ी)	• वी.एच.एन.डी. सत्र हेतु बैनर लगाया गया था। • सत्र स्थल पर भ्रमण के समय तक कम लाभार्थियों का आच्छादन किया गया था। • प्रथम पंक्ति की कार्यकत्रियों द्वारा सत्र दिवस हेतु ड्यू लिस्ट समुचित रूप से नहीं तैयार की गयी थी। • सत्र स्थल पर उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, ए.एन.एम., आशा से वार्ता करके ज्ञात हुआ कि विगत एक माह में 5 बच्चों को एन.आर.सी. हेतु संदर्भित किया गया है। • धात्री व गर्भवती महिलाओं की एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें राज्य स्तरीय दल द्वारा बिन्दुवार चर्चा की गयी जिसमें प्रमुख रूप से वी.एच.एन.डी. की सेवायें व प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना को सम्मिलित किया गया।	• सत्र पर समस्त चिन्हित लाभार्थियों का आच्छादन करने का प्रयास किया जाये। • प्रथम पंक्ति की कार्यकत्रियों को सत्र दिवस हेतु समुचित रूप से ड्यू लिस्ट तैयार करने का सुझाव दिया गया। • आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, ए.एन.एम., आशा को शत प्रतिशत चिन्हित बच्चों को एन.आर.सी. हेतु संदर्भित करने का सुझाव दिया गया। • नियमित रूप से धात्री व गर्भवती महिलाओं की बैठक करने का सुझाव दिया गया।	ए.एन.एम./प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/ जनपद स्तर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय बैठक के मुख्य बिन्दु–

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को एक दिन भ्रमण की गयी चिकित्सा इकाईयों के बारे में फीडबैक प्रदान किया गया।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में चिकित्सकों व स्टाफ की अधिक कमी है।
- डी.पी.एम.यू. टीम के साथ बैठक कर आगामी दिवसों हेतु सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की कार्ययोजना तैयार की गयी।
- जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के लम्बित भुगतान को कराये जाने हेतु रणनीति तैयार करते हुये शत्प्रतिशत भुगतान किये जाने का सुझाव दिया गया।
- आशा प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान बी.सी.पी.एम.–एम.आई.एस.के माध्यम से शत्प्रतिशत व ससमय किये जाने का सुझाव दिया गया।

(संतोष कुमार भारती)
प्रोग्राम कोआर्डिनेटर
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ

(डा0 राज किशोर त्रिपाठी)
प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण अधिकारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ